


छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00231

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध मेसर्स ए.एस. हाउसिंग कंपनी, रायपुर

प्रोजेक्ट- गोल्फ ग्रीन, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/12/18.	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- अनावेदक की ओर से पार्टनर श्री जगजीत भाटिया उपस्थित।</p> <p>- इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनका प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट रेरा में पंजीबद्ध है। अनावेदक का कथन है कि भूलवश उनके द्वारा प्रसारित बल्क एस.एम.एस के माध्यम से प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं प्राधिकरण की वेबसाइट का पता उल्लेखित नहीं किया गया था। अनावेदक ने कथन किया है कि उनके द्वारा बल्क एस.एम.एस के माध्यम से अब ऐसे विज्ञापनों का प्रसार करना बंद कर दिया गया है। अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि की वजह से क्षमा याचना की है।</p> <p>- प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रसारित किया था, वह प्रोजेक्ट पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम</p>	




Gum



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00231

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेश विरुद्ध मेसर्स ए.एस. हाउसिंग कंपनी, रायपुर
प्रोजेक्ट- गोल्फ ग्रीन, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>- प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p> (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p> (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p> (विवेक ढांड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	

